



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-383 राँची, शुक्रवार,

30 जुलाई, 2021 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई, 2021

संख्या-9/व०क्षे०पदा० (आ०)-17/2018-2058 -- श्री अजय कुमार, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, चतरा वनरोपण प्रक्षेत्र, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल (सम्प्रति निलंबित) झारखण्ड राज्य नगरपालिका अधिनियम के नियम-68 (क) एवं लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा-134 (i) का अनुपालन नहीं करने एवं अन्य गठित आरोपों के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-09 (1)(क) अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-2553 दि०-24.08.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली-2016 के नियम-17(1)(2) के तहत संकल्प सं०-2683 दि०-31.08.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री कामेश्वर प्रसाद, झा०प्र०से० (से०नि०) को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-373 दि०-22.12.2020 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की गई।

निर्वाचन संबंधी कार्य में भाग नहीं लेना किसी भी सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए घोर अनुशासनहीनता है। बीमार रहने की स्थिति में भी श्री कुमार द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी को पूर्व सूचना नहीं दिया जाना कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा निर्वाचन कार्य को गंभीरता से नहीं लिए जाने का घोटक है।

उक्त तथ्यों के आलोक में श्री अजय कुमार (निलंबित वन क्षेत्र पदाधिकारी) को निलंबन मुक्त करते हुए निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-

- (i) दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक ।
 - (ii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।
 - (iii) निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जाएगी ।
3. श्री कुमार को अगले आदेश तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के कार्यालय में संलग्न किया जाता है ।
4. उक्त आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार चैबे,
सरकार के अवर सचिव ।
